

प्रेस नोट थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 23.02.2024

गोवंश की तस्करी करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा गोवंशों की तस्करी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के मार्गदर्शन में, थानाध्यक्ष कैम्पियरगंज के नेतृत्व में थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 007/2024 धारा 3/5ए/8 गो वध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशुकूरता अधिनियम के वाँछित अभियुक्त मुख्तार पुत्र कोईल निवासी मंशाछापर थाना कोठीभार जिला महाराजगंज को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुख्तार पुत्र कोईल निवासी मंशाछापर थाना कोठीभार जिला महाराजगंज

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 007/2024 धारा 3/5ए/8 गो वध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशुकूरता अधिनियम थाना कैम्पियरगंज गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 शाहिद सिद्दीकी थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 दिनेश साहनी थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 उमाशंकर कन्नौजिया थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
4. कां0 पुष्पेन्द्र यादव थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर